प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तरेपन'

[7/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 1493]

परिशिष्ट

वि.स. प्रश्न क्र. 1493
श्री फुन्देलाल सिंह मार्को

शहडोल

SCSC

58

क्रमांक/स्थापना/2017-18/717

शहडोल दिनांकः-27/12/2017

आदेश

मुख्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक/804 दिनांक 30/11/2016 के तहत परिवहनकर्ता श्री सुनील कुमार कुकरेती को धान उपार्जन वर्ष 2016-18 का परिवहनकर्ता नियुक्ति किया गया था। एवं उनके द्वारा दिनांक 08/12/2016 को अनुबंध निष्पादित किया गया था। धान उपार्जन वर्ष 2017-18 में परिवहनकर्ता श्री सुनील कुमार कुकरेती को परिवहन कार्य तीव्र गति से करने हेतु पत्र क्रमांक 607/दिनांक 06/12/2017 को पत्र क्रमांक/618/ दिनांक 07/12/2017 पत्र क्रमांक/ 639/ दिनांक 12/12/2017 एवं पत्र क्रमांक/695/ दिनांक 20/12/2017 दिये गये। परन्तु श्री सुनील कुमार कुकरेती द्वारा लगातार परिवहन कार्य में निराशा जनक कार्य किया गया एवं परिवहन का प्रतिशत लगातार गिरता रहा इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा एवं जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा भी समक्ष में समझाया गया परन्तु श्री कुकरेती द्वारा परिवहन कार्य में कोई रूचि नही ली गई एवं परिवहन कार्य भी बन्द कर दिया गया जिससे उनकी रिस्क एवं कास्ट पर कार्य कराया गया श्री सुनील कुमार कुकरेती द्वारा अग्रिम की माँग बिना देयक प्रस्तुत किये की गई।

निविदा दस्तावेज वर्ष 2017-18 की कंण्डिका क्रमांक 37.4 के तहत द्वितीय परिवहनकर्ता से कंण्डिका क्रमांक 37.3 के अनुसार कराया गया कार्य नियुक्ति परिवहनकर्ता की जोखिम एवं खर्च (रिस्क एवं कास्ट) पर माना जावेगा। जिसका समस्त व्यय अनुबंधित परिवहनकर्ता से वसूली योग्य होगा। यह परिवहनकर्ता के पुनः कार्य आरम्भ या उनके द्वारा निरन्तर कार्य न करने पर उनके द्वारा जमा जमानत राशि की सीमा तक ही होगा। एवं ऐसी स्थिति में यदि सम्पूर्ण जमानत राशि तक रिस्क एण्ड कास्ट हो जाता हैं तो यह कार्पोरेशन के समस्त परिवहन कार्यों के लिए अयोग्य घोषित किया जावेगा। व कार्पोरेशन के समस्त कार्यो के लिए उस वर्ष व आगामी 05 वर्ष के लिए प्रतिबंधित होगा। यह कार्यवाही जिला प्रबंधक करेंगें सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबंधक पर्यवेक्षण करेंगें।

अतः उक्त कंण्डिका के तहत श्री सुनील कुमार कुंकरेती परिवहन कर्ता को इस वर्ष एवं आगामी 05 वर्ष के लिए प्रतिबंन्धित किया जाता है।

जिला प्रबंधक
शहडोल

क्रमांक/स्थापना/2017-18/

शहडोल दिनांकः-30/12/2017

प्रतिलिपिः-

1. प्रबंध संचालक महोदय म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड सतना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री सुनील कुमार कुकरेती परिवहनकर्ता शहडोल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला प्रबंधक म०प्र० स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड समस्त

जिला प्रबंधक
शहडोल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग